इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी 2013—फाल्गुन 9, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. 1 (अ) 1-2013-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी करने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों की नियुक्ति बाबत् विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:—

1. अतिरिक्त/उप महाधिवक्ता/ शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति बाबत् दस वर्ष या उससे अधिक अवधि में उच्च न्यायालय के समक्ष वकालत में व्यवसायरत अधिवक्ताओं के द्वारा संलग्न प्रारूप (अनेक्सर-ए) में बायोडाटा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर/ग्वालियर में प्रस्तुत किये जाएंगे. अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर/ग्वालियर में प्राप्त आवेदन अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा अनुशंसा के उपरांत महाधिवक्ता को प्रेषित किये जाएंगे.

2. महाधिवक्ता एक शासकीय अधिवक्ता के पद के विरुद्ध तीन अधिवक्ताओं के आवेदन राज्य शासन को विधि विभाग के माध्यम से अपनी अनुशंसा सहित प्रेषित करेगें. महाधिवक्ता, अनुशंसा किये जाने के कारण सहित संक्षिप्त टीप अंकित करेगें. महाधिवक्ता अनुशंसा सहित, जिन अधिवक्ताओं के आवेदन विधि विभाग को अग्रेषित करेगें, उन पर ही शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

3. शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता व्यवसाय के रूप में कार्य करने की अवधि, योग्यता, पूर्ववृत्त, कार्य अनुभव, चरित्र तथा ख्याति आदि जैसे सुसंगत तथ्यों पर विचार किया जाकर गुण-दोष के आधार पर की जायेगी.

4. प्रथम बार शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति के लिये उपरोक्तानुसार प्रारूप में बायोडाटा प्राप्त किये जाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी जावेगी. नियत दो वर्ष की अवधि के पश्चात् शासन स्तर पर कार्यकाल को बढ़ाये जाने हेतु ठीक पूर्ववर्ती कार्य अवधि में उनके द्वारा किये गये कार्य ख्याति आदि सुसंगत तथ्यों पर विचार किया जाकर गुण-दोष के आधार पर कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी.

5. शासकीय अधिवक्ता द्वारा कदाचरण किये जाने पर या उनके विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा विपरीत टिप्पणी किये जाने पर या महाधिवक्ता की हटाये जाने की अनुशंसा के आधार पर दो वर्ष के निर्धारित कार्यकाल के मध्य में भी शासकीय अधिवक्ता को हटाये जाने पर शासन स्तर पर विचार किया जा सकेगा.

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

Annexure-A

महाधिवक्ता कार्यालय मध्यप्रदेश में विधि अधिकारियों की नियुक्ति बाबत्

आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. अ-जन्मतिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
   ब-आयु (आवेदन दिनांक को)
4. शैक्षणिक योग्यता
5. निवास का पता
   (दूरभाष/मोबाईल क्र. तथा ई-मेल एड्रेस सहित)
6. आवेदित पद
7. राज्य अधिवक्ता परिषद् का पंजीयन क्रमांक
   एवं तिथि (पंजीयन की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
8. उच्चतम/उच्च न्यायालय में अधिवक्ता व्यवसाय की अवधि (वर्ष में)
9. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, अधिवक्ता संघ में पंजीयन क्रमांक व दिनांक
10. विगत तीन वर्षों में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ, जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर में जिन प्रकरणों में उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी की गई, उनमें से न्यूनतम बीस प्रकरणों की सूची प्रमाण सहित प्रस्तुत करें. (सूची पृथक् से संलग्न करें).
11. उच्चतम/उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता व्यवसाय के रूप में जिन मामलों में विशेष रूप से पैरवी की जाती है, का विवरण जैसे-रिट, सिविल अपील, आपराधिक अपील आदि. यदि सर्विस मेटर में विशेष रूप से पैरवी की जाती हो तो उसका पृथक् से उल्लेख आवश्यक रूप से करें.
12. केन्द्रीय प्रशासकीय अधिकरण जैसी अन्य न्यायिक संस्था, जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदस्थ हो, के समक्ष पैरवी की गई हो, उन प्रकरणों की सूची प्रमाण सहित प्रस्तुत करें. (सूची पृथक् से संलग्न करें).
13. रिटेनर या स्टैडिंग काउंसिल के रूप में बैंक अथवा किन्हीं शासकीय संस्थाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्था की ओर से उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी की गई हो तो, उसका विवरण.
14. न्यायालय द्वारा उनके अधिवक्ता व्यवसाय के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी, यदि की गई हो, तो उसका उल्लेख.
15. यदि कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध/लंबित/निराकृत हो तो उस संबंध में उल्लेख करें.
16. अन्य कोई जानकारी, जो आवेदक आवश्यक समझे

दिनांक :

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.